# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 64 / 2023 तारीख रजू:– 20.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

| | | |
|---|---|---|
| 1. भरतराम मीना<br>2. कल्याण प्रसाद मीना | पिसरान जयनारायण | जाति सभी मीना |
| 3. लखनलाल मीना<br>4. राजाराम मीना<br>5. प्यारेलाल मीना<br>6. नेहरूलाल मीना | पिसरान शिवचरण | निवासी कारवाड मीना |
| 7. मुकेश पुत्र गोलरिया | | |
| 8. किन्दूरी पुत्र परसादी | | |
| 9. पुखराज पुत्र राजू | | |
| 10. विष्णु<br>11. महेन्द्र | पिसरान पूरन | |
| 12. रिन्कू<br>13. टिन्कू<br>14. सुरेन्द्र<br>15. नरेश | पिसरान जगन | तहसील हिण्डौन |
| 16. अमित<br>17. अंकुश | पिसरान मुकेश | |
| 18. सन्तरा बेवा मुकेश | | |
| 19. जयसिंह<br>20. हरिराम | पिसरान सुआलाल | |
| 21. घनश्याम<br>22. मु0 रामकेशी | पिसरान रामनिवास | जिला करौली राजस्थान। |
| 23. मु0 सुनीता<br>24. लाखनसिंह | पिसरान रामनिवास | |
| 25. मु0 रूपबाई पत्नि रामनिवास | | |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( क...

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. | जमनालाल | पिसरान | जाति सभी मीना |
| 27. | नेमीचन्द | घमण्डी | |
| 28. | मनीराम | | |
| 29. | रिन्कू पुत्र ओमप्रकाश पुत्र प्रभू | | |
| 30. | मु0 सैजन्ती पत्नि ओमप्रकाश | | निवासी कारवाड मीना |
| 31. | जगदीश | पिसरान | |
| 32. | धनसिंह | प्रभू | |
| 33. | भगवानसिंह | | तहसील हिण्डौन |
| 34. | श्रीनारायण पुत्र मनोहरी | | |
| 35. | श्रीमन पुत्र श्योलाल | | |
| 36. | काजल | पिसरान | जिला करौली |
| 37. | पूर्ती | हरीमन | |
| 38. | लखनबाई पत्नि हरीमन | | ————————वादीगण |

**बनाम**

1. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला करौली राजस्थान———प्रतिवादीगण

## दावा बाबत इस्तकरारहक
## एवं स्थायी निषेधाज्ञा

**उपस्थित :—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण**

# निर्णय

दिंनाक :— 16.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 01 में दर्ज किया है कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 199 रकबा 7 बिस्वा, ख0 नं0 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 07 बिस्वा, कुल किता —4 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन वादीगण के बुजुर्ग, सुवालाल पुत्र श्यामलाल, प्रभु पुत्र श्योनारायण, शिवचरण पुत्र गंगाधर, गोलरिया पुत्र परसादी, जाति मीना को सन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1975 में राजस्थान सरकार द्वारा अलोट की गयी। जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज व दखील चले आ रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं. 02 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं0 1 वादपत्र के दौराने सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान तरमीम किये।

| साबिक खसरा नम्बर | रकबा | नवीन खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|
| 586 | 3 बीघा 6 बिस्वा | 231 | 0.59 है0 |
| 199 | 7 बिस्वा | 369 | 0.08 है0 |
| 161 | 9 बिस्वा | — | — |
| 162 | 7 बिस्वा | — | — |

अर्थात साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 231 रकबा 0.59 है0 कायम किया गया, जबकि साबिक रिकार्ड एवं मौके के अनुसार वादीगण का 59 ऐयर के स्थान पर 83 ऐयर रकबा कायम किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त ख0नं0 में वादीगण का 24 ऐयर रकबा कम कर दिया गया एवं साबिक ख0नं0 161 व 162 के स्थान पर कोइ नवीन खसरा नम्बर तरमीम ही नही किया गया। जिससे उक्त दोनों खसरा नम्बर का कुल 20 ऐयर रकबा वादीगण की खातेदारी से कम कर दिया गया। जिससे वादीगण का साबिक रिकार्ड 4 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर महज 67 ऐयर कायम कर वादीगण का 50 ऐयर रकबा कम कर दिया गया। जिसका सेटिलमेन्ट कर्मचारियों को कोइ वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

वाद पत्र के मद नं. 03 में दर्ज किया है कि वादीगण के साबिक ख0नं0 586 के कम हुये रकबे सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 34 ऐयर स्थित ग्राम कारवाड़ मीना सरकारी सिवायचक को तरमीम कर दिया एवं साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 162 रकबा 7 बिस्वा के समस्त रकबे को नवीन खसरा नम्बर 227 रकबा 2.36 हैक्टेयर स्थित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम कारवाड़ मीना तहसील–हिण्डौन में शामिल फरमाते हुये सरकारी रिकार्ड में सिवायचक दर्ज फरमा दिया। जिसका सेटिलमेन्ट विभाग को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

वाद पत्र के मद नं. 04 में दर्ज किया है कि दौराने अलोटमेन्ट उक्त भूमि की खातेदारी कुटुम्ब के मुखिया के नाम दर्ज रिकार्ड फरमा दी गई, लेकिन मौके पर समस्त वादीगण उक्त भूमि को बजमाने बुजुर्गोन से काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके अनुसार वादीगण सं0 1 ता 3 मृतक शिवचरण के 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से इस प्रकार कुल 1/8 हिस्से पर काबिज एवं दखील हैं। मृतक गोलरिया के 1/4 हिस्से में से वादी सं0 7 बहिस्सा 1/6, वादी सं0 8 बहिस्सा 1/6, वादी सं0 9 बहिस्सा 1/3, वादी सं0 10 व 11 बहिस्सा 1/12, वादी सं0 12 लगायत 15 प्रत्येक बहिस्सा 1/15, वादी सं0 16 ता 18 बहिस्सा 1/15, दर हिस्सा 1/4 पर काबिज एवं दखील हैं। इसी प्रकार मृतक सुआलाल के 1/4 हिस्से में से वादी सं0 19 व 20 बहिस्सा 1/3, वादी सं0 21 लगायत 25 बहिस्सा 1/6, वादी सं0 26 लगायत 28 हिस्सा 1/2 पर काबिज एवं दखील हैं। इसी प्रकार मृतक प्रभु के 1/4 हिस्से में से वादी सं0 31 ता 33 बहिस्सा 1/2 पर एवं वादी सं0 35 बहिस्सा 1/48 पर काबिज एवं दखील हैं एवं इसी प्रकार मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं इसी प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिसका वादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है।

वाद पत्र के मद नं. 05 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 26.03.2023 को वादीगण अपनी आराजीयात पर के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने श्रीमान हल्का पटवारी के पास गये हुये थे, तो श्रीमान हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की नवीन खातेदारी में समस्त वादीगण का नाम अंकित नहीं होने बाबत बताया। साथ ही वादीगण ने जब उक्त आराजीयात का साबिक एवं नवीन रिकार्ड का अवलोकन किया, तो सेटिलमेन्ट कर्मचारियों की उक्त भूल का पता भी वादीगण को अब चल पाया है। जिस पर वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन से उक्त आराजीयात के रिकार्ड में संशोधन करने एवं समस्त वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की, तो श्रीमान तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जी द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने की वादीगण को हिदायत फरमाई है। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 06 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 28.03.2023 को वादीगण अपनी आराजीयात पर के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने श्रीमान हल्का पटवारी के पास गये थे, तो नवीन खातेदारी में समस्त वादीगण का नाम अंकित नहीं होने बाबत बताया गया। तो सेटिलमेन्ट कर्मचारियों की उक्त भूल का पता चल पाये जाने के कारण वमुकाम ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन में पैदा हुई है।

वाद पत्र के मद नं. 07 में दर्ज किया है कि बिनाय मुखास्मत, सकूनत फरीकेन की दृष्टि से एवं निवास फरीकेन की दृष्टि से एवं वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन में स्थित होने के कारण उक्त वादपत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 08 में दर्ज किया है कि दावा हाजा निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 09 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 व 188 के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करते है :—

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (क) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजीयात ख0नं0 231 रकबा 59 ऐयर, ख0नं0 369 रकबा 8 ऐयर, ख0नं0 230 रकबा 34 ऐयर, एवं 227 में से 16 ऐयर रकबा कुल किता—4 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर स्थित ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन के वादी सं0 1 ता 3 बहिस्सा 1/8, वादी सं0 4 ता 6 बहिस्सा 1/8, वादी सं0 7 बहिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/4 , वादी सं0 8 बहिस्सा 1/24, वादी सं0 9 बहिस्सा 1/12 वादी सं0 10, 11 बहिस्सा 1/48, वादी सं0 12 ता 18 बहिस्सा 1/48, वादी सं0 35 बहिस्सा 1/48, वादी सं0 36 ता 38 बहिस्सा 1/48, वादी सं0 19 व 20 प्रत्येक 1/4 , वादी सं0 21 ता 25 बहिस्सा 1/24 , वादी सं0 26 ता 28 बहिस्सा 1/8, वादी सं0 29 व 30 बहिस्सा 1/32, वादी सं0 31 लगायत 33 प्रत्येक बहिस्सा 1/32 एवं वादी सं0 34 बहिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार हैं। एवं इसी प्रकार समस्त रेवेन्यू रिकार्ड एवं कागजात पटवारी में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (ख) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री परमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद परमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर साबिक 586, 199, 161, 162 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त वादीगण में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें, रहन वय नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (ग) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो न्याय संगत करीन इन्साफ बहक वादीगण पाई जावे वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने पंत्राक एलआर/2024/743 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से जबावदावा पेश कर जबावदावा में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की ओर से जबाव दावा मुताविक भू—अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार सेवा में पेश है।

जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि साबिक खसरा नम्बर 568 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 199 रकबा 07 बिस्वा, 161 रकबा 09 बिस्वा, 162 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

4 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन माननीय न्यायालय हाजा पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी के अनुसार खातेदारी सुवालाल पुत्र श्यामलाल, प्रभू पुत्र श्यौनारायण, शिवचरण पुत्र गंगाधर, गोलरिया पुत्र परसादी जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है, किन्तु पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी की प्रति में सम्बत अंकित नहीं है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। क्योंकि पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल में सिर्फ नवीन खसरा नम्बर 231–रकबा 0.59 है० का गत खसरा नम्बर 586 मिन रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा संलग्न किया है। गत खसरा नम्बर 586 के सम्पूर्ण नवीन नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल नहीं होने के कारण शेष रकबा कौन से नवीन खसरा नम्बर से जुडा है. स्पष्ट नहीं होता है। गत खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 369 रकबा 0.08 है० का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली संलग्न किया है। गत खसरा नम्बर 199 के शेष रकबा किस नवीन खसरा नम्बर में समाहित किया है. उसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न नहीं है। गत खसरा नम्बर 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 7 बिस्वा कुल रकबा 16 बिस्वा के नवीन नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे गत खसरा नम्बर 161 व 162 का रकबा किस नवीन खसरा नम्बर में समाहित हुआ, प्रतीत नहीं होता है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। क्योंकि नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 0.34 है० गत खसरा नम्बर 197 और 562 मिन से बना है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल के गत खसरा नम्बर 586 के रकबा से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। गत खसरा नम्बर 161 रकबा 09 बिस्वा, 162 रकबा 07 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 227 रकबा 2.36 हैं0 में शामिल होना लिखा है, जिसके सबूत बाबत् मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 4 लगायत 11 कानूनी व माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–1,2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, नकल भू–प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक–पत्र प्रदर्श–5, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी भरतराम मीना ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं तथा किन्दूरी मीना, कल्याण प्रसाद मीना, श्रीमन मीना, नरेश मीना, के वास्ते बयान शपथ पत्र पेश किये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–1 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.59 है0, 369 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम कालवाड मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुवालाल पुत्र श्यामलाल प्रभू पुत्र श्योनारायण शिवचरण पुत्र गंगाधर गोलरिया पुत्र परसादी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–2 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 227 रकबा 2.36 है0 किस्म गै0मु0, 230 रकबा 0.34 है0 किस्म गै0मु0 वाके ग्राम कालवाड मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 199 रकबा 12 बिस्वा, 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कालवाड मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुवालाल पुत्र श्यामलाल प्रभू पुत्र श्योनारायण शिवचरण पुत्र गंगाधर गोलरिया पुत्र परसादी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 व नकल भू– प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक–पत्र प्रदर्श–5 के अनुसार ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से कायम किये गये नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार हैं।

| साबिक खसरा नं0 | रकबा | हाल खसरा नं0 | रकबा हैक्टेयर में |
|---|---|---|---|
| 197<br>562 मिन | –<br>– | 230 | 0.34 |
| 199 | 12 बिस्वा | 369 | 0.08 |
| 586 मिन | 3 बीघा 6 बिस्वा | 231 | 0.59 |
| 161 | – | – | – |
| 162 | – | – | – |

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत मिलान क्षेत्रफल में सिर्फ नवीन खसरा नम्बर 231–रकबा 0.59 है० का गत खसरा नम्बर 586 मिन रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा संलग्न किया है। गत खसरा नम्बर 586 के सम्पूर्ण नवीन नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल नहीं होने के कारण शेष रकबा कौन से नवीन खसरा नम्बर में गया है साबिक व नवीन नक्शा सीट के अभाव में एवं मिलान क्षेत्रफल अपूर्ण पेश करने के अभाव में स्पष्ट नहीं होता है। गत खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 369 रकबा 0.08 है० का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली संलग्न किया है। गत खसरा नम्बर 199 के शेष रकबा किस नवीन खसरा नम्बर में समाहित किया है. उसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न नहीं है। गत खसरा नम्बर 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 7 बिस्वा कुल रकबा 16 बिस्वा के नवीन नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे गत खसरा नम्बर 161 व 162 का रकबा किस नवीन खसरा नम्बर में समाहित हुआ, प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्य साबिक व नवीन नक्शा सीट के अभाव में एवं मिलान क्षेत्रफल अपूर्ण पेश करने के अभाव में स्पष्ट नहीं होता है। नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 0.34 है० गत खसरा नम्बर 197 और 562 मिन से बना है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल के गत खसरा नम्बर 586 के रकबा से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। गत खसरा नम्बर 161 रकबा 09 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

162 रकबा 07 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 227 रकबा 2.36 है0 में शामिल होना लिखा है, जिसके सबूत बाबत् साबिक व नवीन नक्शा सीट के अभाव में एवं मिलान क्षेत्रफल अपूर्ण पेश करने के अभाव में स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे हालात में वादीगण के द्वारा साबिक रकबा के मुकाबले नवीन राजस्व रिकार्ड में रकबा की पूर्ति कराने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये हैं जिनके अभाव में वादीगण कमी रकबा की पूर्ति कराने का अधिकारी साबित नहीं होता है। वादीगण के द्वारा यह भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि सेटिलमेन्ट से पूर्व ग्राम कारवाड मीना का सिवायचक सरकारी भूमि का रकबा कितना था और सेटिलमेन्ट के बाद सिवायचक सरकारी भूमि का रकबा कितना था। जिससे सिवायचक सरकारी भूमि के रकबा में सेटिलमेन्ट के बाद बढोतरी हुई है अथवा नहीं इस तथ्य की पुष्टि हो सके। वादीगण के द्वारा दावा दायरी के बक्त की नवीन जमाबन्दी की प्रति भी पेश नहीं की गई है कि जिससे यह साबित हो सके कि दावा दायरी के वक्त उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी किन–2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण का दावा पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के अभाव में खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 199 रकबा 12 बिस्वा, 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कालवाड मीना तहसील हिण्डौन एवं नवीन खसरा नम्बर 231 रकबा 0.59 है0, 369 रकबा 0.08 है0, 230 रकबा 0.34 है0, 227 रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.25

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

| | | |
|---|---|---|
| 1. भरतराम मीना<br>2. कल्याण प्रसाद मीना | पिसरान<br>जयनारायण | जाति सभी मीना |
| 3. लखनलाल मीना<br>4. राजाराम मीना<br>5. प्यारेलाल मीना<br>6. नेहरूलाल मीना | पिसरान शिवचरण | निवासी कारवाड मीना |
| 7. मुकेश पुत्र गोलरिया | | |
| 8. किन्दूरी पुत्र परसादी | | |
| 9. पुखराज पुत्र राजू | | |
| 10. विष्णु<br>11. महेन्द्र | पिसरान<br>पूरन | |
| 12. रिन्कू<br>13. टिन्कू<br>14. सुरेन्द्र<br>15. नरेश | पिसरान<br>जगन | तहसील हिण्डौन |
| 16. अमित<br>17. अंकुश | पिसरान<br>मुकेश | |
| 18. सन्तरा बेवा मुकेश | | जिला करौली राजस्थान। |
| 19. जयसिंह<br>20. हरिराम | पिसरान<br>सुआलाल | |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

21. घनश्याम | पिसरान
22. मु0 रामकेशी | रामनिवास
23. मु0 सुनीता | पिसरान
24. लाखनसिंह | रामनिवास
25. मु0 रूपबाई पत्नि रामनिवास
26. जमनालाल | पिसरान
27. नेमीचन्द | घमण्डी
28. मनीराम |
29. रिन्कू पुत्र ओमप्रकाश पुत्र प्रभू
30. मु0 सैजन्ती पत्नि ओमप्रकाश
31. जगदीश | पिसरान
32. धनसिंह | प्रभू
33. भगवानसिंह |
34. श्रीनारायण पुत्र मनोहरी
35. श्रीमन पुत्र श्योलाल
36. काजल | पिसरान
37. पूर्ती | हरीमन
38. लखनबाई पत्नि हरीमन

जाति सभी मीना

निवासी कारवाड मीना

तहसील हिण्डौन

जिला करौली

————————वादीगण

**बनाम**

1. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला करौली राजस्थान———प्रतिवादीगण

**दावा बाबत् इस्तकरार हक, एंव स्थायी निषेधाज्ञा**

**मुकदमा नं0 64/2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ....... मिन जानिब मुदायलह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 199 रकबा 12 बिस्वा, 161 रकबा 9 बिस्वा, 162 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कालवाड मीना तहसील हिण्डौन एवं नवीन खसरा नम्बर 231 रकबा 0.59 है0, 369 रकबा 0.08 है0, 230 रकबा 0.34 है0, 227 रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

16/12/25

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )
हिण्डौन जिला करौली